UPRN010030622026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

एफ.आर./वाद सं०-491/2026

अमर सिंह बनाम राजकुमार यादव उर्फ किशन यादव आदि

मु०अ०सं०-622/2024

धारा-395,504,406,342,506 भा.दं.सं.

थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर।

दिनांक 10.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

विवेचनाधिकारी द्वारा बाद विवेचना उपरोक्त वर्णित प्रकरण में अंतिम आख्या इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन फोटो, अवलोकन वीडियो ग्राफी पेनड्राइव, अवलोकन न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा योजित वाद, बयान चश्मदीद गवाहा व अन्य संकलित साक्ष्य से घटना का होना नहीं पाया गया। साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है। विवेचक द्वारा उपरोक्त आधारों पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। वादी मुकदमा न्यायालय उपस्थित आया और उसके द्वारा न्यायालय समक्ष सशपथ बयान किया गया कि "मैंने थाना घाटमपुर में मु०अ०सं०-622/2024 रामकुमार यादव उर्फ किशन यादव आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। जिसमें विवेचना अधिकारी महोदय ने अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की है। मैं विवेचना अधिकारी की विवेचना से पूर्णतया संतुष्ट हूँ और कोई भी अग्रिम कार्यवाही इस मुकदमें में नहीं चाहता हूँ। अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत कर ली जाये, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बात का लिखित प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पत्रावली पर दाखिल किया है, जिस पर मेरी फोटो चस्पा है व हस्ताक्षर बने हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श C-1 व आधार कार्ड पर C-2 डाला गया। "

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के द्वारा वादी मुकदमा का बयान अंकित कराया गया। वादी मुकदमा ने अपने बयान में कहा है कि विवेचनाधिकारी के द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या से वह संतुष्ट है और अंतिम आख्या स्वीकार कर ली जाये, उसे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि वादी मुकदमा को विवेचनाधिकारी द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके द्वारा अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

पुलिस थाना घाटमपुर द्वारा अपराध सं०- 622/2024 में प्रेषित अंतिम आख्या संख्या-37/2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(पारुल श्रीवास्तव)

दिनांक-10.07.2026

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.10 16:20:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court